

Mobile court

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF.....J.M.F.C. Gohad , DIST- BHIND (M.P)

Case No. 190/17 ~~का गुप्त~~ Complaint or report made on

Name and address of the Complainant.....
नायिक मजिस्ट्रेट का गुप्त
कु. गोहद

Name , parentage, caste and address of accused
सुजान सिंह पुता मोहरन सिंह नि. गोरमी

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 23.09.17 को समय लगभग 1:00 बजे, स्थान
गोलमवा तिराहा अंतर्गत थाना गोहद में वाहन को
MP 30 MM 2587 को बिना बीमा के चलाया और
इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा
146/196 M.V act के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

Judicial Magistrate First Class
The plea of the accused and his examination (If any) Gohad dist. Bhind (M.P.)

अपराध स्वेच्छया स्वीकार है।

सु. ल. नारयण

Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 23-9-17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 M.V. Act के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी सुजात सिंह 8/10 मोहरम सिंह नि. गोरखी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए क्रमशः राशि रुपये 1000/- रु० (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन क्र० 12P30 12M2587 को उसके पजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर दंडित

Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhiwari (M.P.)